

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डीन (करीली)

रीटरीय अधिकारी - हेमराज गुर्जर (अपखण्ड)

प्रकरण संख्या-190/08

राज्य दिनांक- 18.08.2024

जीसीएस नं. 2024/00000

उपखण्ड

भवानी पुत्र मेधा जाति कोली निवासी मोहम्मद जाट की सराय लहरीय हिण्डीन  
जिला करीली राजस्थान

---वादीगण-08

बनाम

रामप्रसाद पुत्र भजन उर्फ सरवन जाति जाट निवासी जाट की सराय लहरीय  
हिण्डीन जिला करीली राजस्थान

---प्रतिवादीगण-06


दादा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निवेशाज्ञा

निर्णय

दिनांक-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान कास्टकारी अधिनियम 1955 की धारा 136, 88, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एवं वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एवं वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद वादीगण एवं वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 05.08.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एवं वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वादीगण एवं वादीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 108/15 सुआलाल बनाम सरकार आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(हेमराज गुर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डीन, जिला करीली

